

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
डॉसी मण्डल डॉसी।

सेवा मे

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
ग्रीष्म विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक-एन०आ०सी०/ २३२३-२९ / २०११-१२ दिनांक- ३०/६/२०११

विषय:-विद्यावती निगम मेमौरियल पब्लिक स्कूल,बॉदा को रु००१०एस०५०,बोर्ड नई दिल्ली से
सम्बद्धता हैतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन
के आदेश सं० १९१६/१५-७-०९-१(२९)/२००७ दिनांक-१४.०७.२००९ द्वारा प्रदेश रिथल
सी०१०एस०५० तथा आई०सी०एस०५० बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने के पूर्व संरक्षणों को
अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के रथान पर सम्बन्धित मण्डल को मण्डलायुक्त यी अधिकारी
में गठित समिति द्वारा दिये जाने का प्राविधिक किया गया है, उक्त शासनप्रदेश के अनुपालन में
जनपद बॉदा में स्थित संरक्षणीय विद्यावती निगम मेमौरियल पब्लिक स्कूल,बॉदा, रो आवेदन पत्र पर
माउल स्तर पर गठित समिति द्वारा दिया गया। समिति द्वारा जॉधोपरान्त विद्यावती
निगम मेमौरियल पब्लिक स्कूल,बॉदा को रु००१०एस०५०, बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हैतु
निम्नलिखित प्रतिवक्षों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः विद्यावती निगम मेमौरियल पब्लिक स्कूल,बॉदा, को निम्न लिखित प्रतिवक्षों के
अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने मे समिति को आपत्ति नहीं है-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया रायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत रथान अनुसूचित जाति/जनजाति के नेहावी
बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे, और उनसे उप०० माध्यमिक शिक्षा परिषद/संसिद्ध
शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क रो
अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. सरथा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जाएगी और यदि पूर्व
मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से गान्धी प्राप्त है तथा विद्यालय दी सम्बन्धित
सोन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कॉसिल फार द इण्डियन स्कूल
सर्टीफिकेट एवंजानिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषद से
सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पदला
मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान रथा लगान्त हो जायेगी।
5. सरपा के शैक्षिक एवं शिक्षणीय कार्यालयों को राज्यकीय सम्मान ग्राहक शिविर
संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानो तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान
तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों वी सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हे जहारता प्राप्त अशासकीय
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों का अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ
उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उन्नत
पालन करेगी।

(02)

8. विद्यालय का रिकार्ड, निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र बापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(ओ०पी०एन्ड० सिंह)

आयुक्त,

चित्रकूटधाम मण्डल बॉदा।

तदिनांक-

पृष्ठांकन सं०/एन०ओ०सी० / 2323-29 / 2011-12

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन, लखनऊ।
2. वैयक्तिक सहायक आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल बॉदा।
3. जिलाधिकारी, बॉदा।
4. शिक्षा निदेशक(मा०)उ०प्र०, लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, बॉदा।
6. निरीक्षक, आगरा भरतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
7. प्रबन्धक, विद्यावती निगम सेनाइरियल पब्लिक स्कूल, बॉदा।

(मनोज कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
झाँसी मण्डल झाँसी।